



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-14/2026

दिनांक यथा हस्ताक्षरित

रियासत इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि.,
जरिये निदेशक श्री सुभाष चंद सैनी पुत्र श्री गणेश राम सैनी,
पंजीकृत कार्यालय रियासत टॉवर, खसरा नं. 688/1, रामपुरा रोड,
इस्कॉन मंदिर के पीछे, सुखिया, एस.एफ.एस., मानसरोवर,
जयपुर (राज.)-302020

विषय:-ग्राम मनोरियावाला तहसील सांगानेर के खसरा न. 898/629 कुल किता 1 कुल
रकबा 0.1688 हैक्ट. भूमि में योजना कुल किता 01 कुल रकबा 0.1688 हैक्ट.
की भूमि पर **निजी खातेदारी की आवासीय योजना दा रिंग निकेतन**
कमर्शियल एस्कटेशन का योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत। (राजकाज सं.
366254)

संदर्भ:- आपका ऑनलाईन आवेदन सं. 281129 दिनांक 10.02.26

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा ग्राम मनोरियावाला तहसील सांगानेर के
खसरा न. 898/629 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1688 हैक्ट. भूमि में आवासीय योजना कुल
किता 01 कुल रकबा 0.1688 हैक्ट. की भूमि पर **निजी खातेदारी की आवासीय योजना दा**
रिंग निकेतन कमर्शियल एस्कटेशन के मानचित्र अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 433वीं बैठक
दिनांक 23.06.26 के एजेण्डा सं. 16 में किया जा चुका है। अनुमोदित मानचित्र को रिकार्ड
शाखा द्वारा क्रमांक 1761/बी दिनांक 23.09.26 को इन्द्राज किया जा चुका है एवं योजना में
आन्तरिक विकास कार्य के पेटे रखे गये 10 प्रतिशत रहन भूखण्ड को आन्तरिक विकास कार्य
पूर्ण होने के उपरान्त ही रहनमुक्त किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ
संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन-14
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान-302004
दूरभाष - Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc760141@jda.rajasthan.gov.in
Digitally signed by RAKESH KUMAR
Designation: Deputy Commissioner
Date: 2026-09-30 18:41:00 IST
RajKaj Ref No.: 24809882

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "THE RING NIKETAN COMMERCIAL EXTENSION"

IN KHASRA NO.- 898/629.

AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

1761
B
23-9-26



CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
101 And 102, 1st Floor, The Prism Tower,
Opp. Police Head Quarters, Lal Kotli,
Tonk Road, Jaipur, Rajasthan-302015
Mob. No - 9829045031

नोट-

- राजस्व ग्राम मनोरियावाला तह. सांगानेर के ख.नं. 898/629 कुल किता 01 कुल रकबा 0.1688 हैक्टर भूमि की 90ए आदेश संख्या 90A/JDA/2025-26/100159 दिनांक 16.01.2026 के द्वारा पूर्ण की गयी है।
- योजना की भूमि में राभूरा अधिनियम की धारा 80-ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणिकरण पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर प्लान शाखा अनुसार मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण व मास्टर विकास योजना 2025 व जोनल विकास योजना-09 के अनुसार भू-उपयोग Commercial (SCC) दर्शित है।
- योजना दा रिंग निकेतन कॉमर्शियल एक्सटेंशन का अनुमोदन बीपीसी(एलपी) की 433वीं बैठक दिनांक 23.06.2026 के एजेण्डा संख्या 16 में किया गया है।
- बीपीसी-एलपी की 414वीं बैठक दिनांक 04.11.2025 के नीतिगत निर्णय-01 के क्रम में मानचित्र जारी होने के उपरान्त राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार योजना की डीपीआर प्राप्त करते हुए जोन में पदस्थापित अभियांत्रिकी शाखा के अधिकारी एवं जोन उपायुक्त द्वारा अनुमोदन उपरान्त योजना में लीजडीड जारी करने की कार्यवाही की जायेगी।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- प्रस्तावित योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स जविप्रा विनियम 2025 के अनुसार देय होंगे।
- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार विकस्य योग्य क्षेत्रफल का न्यूनतम 10.00 प्रतिशत रहन में रखा जाना आवश्यक है। योजना में आन्तरिक विकास कार्यों की एकज में 10.00 प्रतिशत क्षेत्रफल 95.73 वर्ग मी. के लिए भू.सं. आर-01 कुल भूखण्ड 01 कुल क्षेत्रफल 170.87 वर्गमीटर रहन रखा गया है।
- राजस्व शाखा द्वारा मानचित्र पर खसरा सुपरइम्पोज किया गया।

ILR/PATWARI (ZONE-14)
(DHARMRAJ)

J.E.N. (ZONE-14)
(ANIL KUMAR SANSWAT)

T.D.R. (ZONE-14)
(KRITIKA SHARMA)

D.T.P. (ZONE-14)
(MUKESH KUMAR)

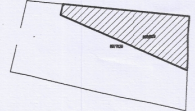
15/9/26.
D.C. (ZONE-14)
(RAKESH KUMAR)

D.T.P. B.P.C. (L.P.)
(ANKUR DEVAT)

A.C.T.P.-B.P.C. (L.P.)
अति. मुख्य नगर निरीक्षक
बीपीसी-एलपी
जविप्रा, जायपुर

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र



दिशा सूचक



यसरा विभाग संख्या 898/629 के अनुसार दृ. संख्या
आवधिकृत अधिकारी की दिशा में
1. भू. सं. आर-01
2. आवधिकृत अधिकारी
3. मुख्य नगर निरीक्षक द्वारा

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	COMMERCIAL	429.48	25.44 %
2.	RESIDENTIAL	518.83	30.74 %
3.	RETAIL PARKING	9.00 54.93	03.79 %
TOTAL = 1+2+3		1012.24	59.97 %
4.	PARK	234.08	13.87 %
5.	FACILITY	88.02	05.21 %
6.	PUBLIC UTILITY & S.W.M.	89.56	05.31 %
7.	PARKING	174.18	10.32 %
8.	P.U.	10.69	0.63 %
9.	ROAD	79.23	04.69 %
TOTAL = 4 TO 9		675.76	40.03 %
SCHEME AREA		1688.00	100.00 %

योजना की भूमि में राभूरा अधिनियम की धारा 80 ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण हेतु द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार
उपायुक्त जोन-
बीपीसी / जी. एन. सी. की बैठक संख्या दिनांक
की अनुमोदन में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

योजना का नाम- PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"THE RING NIKETAN COMMERCIAL EXTENSION"
IN KHASRA NO.- 898/629
AT VILLAGE - MANOHARIYAWALA, TEH.-SANGANER, JAIPUR

जोन संख्या = 14

दिमाना :- 1:500

सहायक नगर निरीक्षक
अति. सहायक नगर निरीक्षक
वरिष्ठ नगर निरीक्षक

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT -
Cad Max
PROJECTS (P) LTD.
301, Prism Tower, 3rd Floor, Jaipur
Ph: 0141-2611111, Mob: 9829045031
Email: info@cadmaxprojects.com, info@cadmaxprojects.com